न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 167 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
देवाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी लूखो का तला (सरली) तहसील व जिला बाड़मेर	**बनाम**	1.नवलाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी लूखो का तला(सरली) तहसील व जिला बाड़मेर 2.श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 137 / 2004 बअनवान नवलाराम बनाम देवाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री जगदीश चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट के खेत खसरा संख्या 974 रकबा 34.15 बीघा, खसरा संख्या 970 रकबा 56.19 बीघा, खसरा संख्या 971 रकबा 02.08 बीघा, खसरा संख्या 991 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 95. 02 बीघा ग्राम सरली में आया हुआ है। उपरोक्त सभी खेतो में 1/2 हिस्सा अपीलांट का है तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट नवलाराम का है। कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय मौका अनुसार नहीं किया है। विभाजन प्रस्ताव सही नहीं है। मौका पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव नहीं है। हस्तगत अपील उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट / वादी को किसी प्रकार की कोई सूचना / नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि आलोच्य आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान पारित किया गया है जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई थी। उपरोक्त फैसला मान में टंकण हुआ तथा अपीलांट को उक्त नकल दिनांक 13.10.2017 को मिली तब अपीलाधीन आलोच्य आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में कैम्प कोर्ट में पारित की गई। पत्रावली को कैम्प कोर्ट में सुनवाई बाबत नियत करने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

पालन किये बिना पारित की गई। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 137/2004 बअनवान नवलाराम वनाम देवाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित करे तथा अपीलाधीन आराजी का तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.04.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर